[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 2/2018-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली दिनांक 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि. ..... (अ) माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र के असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"41क	27	कोल वाशरी द्वारा आपूर्त किया गया कोल रिजक्ट्स, जो कि उस कोयले से निकला हुआ हो जिस पर प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान किया गया हो और किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया गया हो ।	शून्य";

(ii) क्रम संख्या 42क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"42ख	87	फ्यूल सेल मोटर व्हीकल्स	शून्य"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

[फाइल संख्या 354/255/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट - प्रधान अधिसूचना सं. 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 1/2018-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 93 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।